

आदेश व इजलारा प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 014/2022 (धारा 14 सेक्युरिटाइजेशन)

महिन्दा एण्ड महिन्दा फाइनेन्स लिमिटेड, चतुर्थ तल, अग्रवाल कॉर्पोरेट टॉवर, फ्लॉट नं. 23, राजेन्द्र
पेलेस, नई दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स सात्विकी प्रोटीन प्रा. लि.,
2. श्री विवेक अग्रवाल,
3. श्री विकास अग्रवाल,
4. श्री नरोत्तम लाल अग्रवाल,
5. श्रीमती सुनीता अग्रवाल,

पता :- खसरा संख्या 1120, चौमूं अजीतगढ़, ग्राम मारखी, जयपुर।

एवं 175, इन्द्रा कॉलोनी, बैंक ऑफ राजस्थान के पीछे, बनीपार्क, जयपुर।

एवं प्लेट नं. 501 एवं 502, ज्वेल्स ऑफ जयपुर, टॉवर बी, गौरव टॉवर के पास, मालवीय नगर,
जयपुर।

एवं आईसीआईसीआई बैंक के पीछे, 175, इन्द्रा कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :-

1. श्री राकेश सिंह जादौन, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश


दिनांक 24.02.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक 20.09.2021 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी मैसर्स सात्विकी प्रोटीन प्रा. लि. के स्वामित्व की खसरा संख्या 1120, चौमूं अजीतगढ़ रोड़, ग्राम मारखी, जयपुर पर स्थित चल संपत्ति एस.इ.पी. मशीनरीज, जिसमें मशीनरी स्पेयर्स, टूल्स व एसेसरीज, इलेक्ट्रीकल इन्स्टालेशन व फिक्सर्स जो कि ओइलेक्स इन्जिनियर्स (इण्डिया) प्रा. लि. द्वारा जरिये इनवॉइस नं. OEPL/21-22/017 दिनांक 25.05.2021 को सप्लाई किया गया है, को हाईपोथिकेट कर राशि 01,60,48,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 02.06.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 को सरफेरी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 01,60,48,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 01,51,96,444.24/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 02.06.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
5. अतः 'The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी मैसर्स सात्विकी प्रोटीन प्रा. लि. के स्वामित्व की खसरा संख्या 1120, चौमूं, अजीतगढ रोड, ग्राम मारखी, जयपुर पर स्थित बंधक चल संपत्ति एस.इ.पी. मशीनरीज, जिसमें मशीनरी स्पेयर्स, टूल्स व एसेसरीज, इलेक्ट्रीकल इन्सटालेशन व फिक्सर्स जो कि ओइलेक्स इन्जिनियर्स (इण्डिया) प्रा. लि. द्वारा जरिये इनवॉइस नं. OEPL/21-22/017 दिनांक 25.05.2021 को सप्लाइ किया गया है का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
अदिश आज दिनांक 24.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



५५
(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर